कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

पत्रांक 569 /ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक– 24-8-2018.

सेवा मे,

संयुक्त अध्यक्ष,
मे0 जय प्रकाश एसोसिएट्स लि0,
सेक्टर 28, नोएडा।

विषय.– जनपद सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में मे0 जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड द्वारा ग्राम–कोटा में जे0पी0 सुपर सीमेन्ट प्लान्ट व आवासीय क्षेत्र स्थापना हेतु 115.874हे0 आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण एवं 5715 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध मे।

सन्दर्भ.– इस कार्यालय के पत्रांक–28/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–03.07.2018, मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर का पत्रांक–521/मी0क्षे0/33 दिनांक–01.08.2018 तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक–349/11–सी–एफ0पी0/यू0पी0 /आई0एन0डी0/23246/2016 दिनांक–19.08.2018.

महोदय,

अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण प्रस्ताव तैयार कर, इस कार्यालय के पत्रांक–28 /ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–03.07.2018 द्वारा चार प्रतियों में मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को प्रेषित किया गया था। जिसके कम में मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर ने अपने कार्यालय के पत्रांक–521/मी0क्षे0/33 दिनांक–01.08.2018 द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित किया गया, उक्त प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में निम्न कमियों का उल्लेख करते हुए, कमियों/अभिलेखो का निराकरण हेतु, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा ने अपने पत्र संख्या–349/11–सी–एफ0पी0/यू0पी0/आई0एन0डी0/23246/2016 दिनांक–19.08.2018 द्वारा प्रस्ताव मूल में वापस किया गया है:–

1. प्रस्तावित वनभूमि का 1:50000 माप का रंगीन मानचित्र संलग्न हैं, किन्तु प्रस्तावित स्थल को हाई लाइट से चिन्हित नहीं किया गया हैं।
2. प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 94 पर संलग्न आरक्षित वन भूमि की प्रीमियम एवं लीज रेंट उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी वचनबद्धता उ0प्र0 शासन के निर्देशानुसार स्पष्ट रूप से नहीं हैं। अतः प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि का जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम (वनभूमि का मूल्य) और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान किये जाने की पूर्ण एवं स्पष्ट वनचबद्धता जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो संलग्न करें।
3. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची संलग्न हैं, किन्तु सारांश में वृक्षो के प्रजातिवार वैधानिक नाम का उल्लेख नहीं किया गया हैं तथा सारांश में ऑनलाइन भाग–2 के अनुसार Grith wise सूची नहीं हैं।
4. ऑनलाइन भाग–2 में 30 सेमी0 से अधिक ब्यास के 717 वृक्षो का ही उल्लेख किया गया हैं जो कि त्रृटिपूर्ण हैं। अतः इस विषमता को दूर करते हुये त्रुटि रहित सूची संलग्न कर तदानुसार ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।

–पेज 2 पर–

Scanned by CamScanner

5. प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष समतुल्य गैर वनभूमि (115.874 हे0) के स्थान पर केवल 87 हे0 गैर वनभूमि पर 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन संलग्न है एवं सारांश में अवगत भूमि का उल्लेख किया गया है तथा सारांश में प्रत्येक चरणों की वास्तविक धनराशि को सम्मिलित न कराते हुये Round में धनराशि को सम्मिलित करते हुये योगफल किया गया है जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष समतुल्य गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्रक्कलन संलग्न करते हुये ही सारांश संलग्न करें।
6. ऑनलाइन भाग–2 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का 1:50000 माप का बिना सत्यापित किये ही रंगीन टोपीशीट अपलोड़ की गयी हैं। अतः सत्यापित रंगीन टोपीशीट अपलोड करें।
7. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु 115.874हे0 गैर वन भूमि के सापेक्ष केवल 87हे0 गैर वन भूमि ही वनीकरण हेतु उपयुक्त बताया गया है, तथा इसके अतिरिक्ति संलग्न प्रमाण पत्र में चयनित स्थल को अतिक्रमण एवं अधिभार से मुक्त के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अतः भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में संशोधित उपयुक्तता प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवशेष 28.874 हे0 गैर वनभूमि का चयन कराकर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र, इससे सम्बन्धित Geo Referenced Digital Map, SOI Toposheet, kml dile एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न करते हुये ऑनलाइन अपलोड़ करें।
9. प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 109 पर संलग्न प्रमाण पत्र में 1.0 किमी0 की परिधि मे कोई भी राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभ्यारण/रिजर्व बाघ/हाथी कोरिडोर न होने का उल्लेख हैं। क्या भारत सरकार द्वारा 1 किमी0 की परिधि को Eco Sensitive Zone घोषित किया हैं? यदि हॉ तो उसकी प्रति संलग्न करें अथवा प्रस्तावित स्थल 10 किमी0 की परिधि के अन्तर्गत होने के कारण राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड/राज्य वन्यजीव बोर्ड से स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित करते हुये पावती प्रस्ताव में संलग्न करें।
10. हार्ड कापी भाग–2 के क्रमांक –7(ii) में विवरण त्रृटिपूर्ण अंकित है। अतः उचित विवरण फीड करे।
11. ऑनलाईन भाग–2 के क्रमांक 5 व 6 में उचित डाटा फीड नहीं किया गया है।
12. ऑनलाईन भाग–2 के Additional Information Detail में कोई प्रामण पत्र अपलोड नहीं किया गया हैं। अतः सभी आवश्यक प्रामण पत्र अपलोड़ करें।
13. ऑनलाईन भाग–2 व हार्ड कापी भाग–2 में जिला प्रोफाइल में 1980 से वनेन्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र भिन्न–भिन्न अंकित किया गया हैं। अतः एक समान उचित क्षेत्र अंकित करें।
14. प्रस्ताव के सभी पृष्ठो पर क्रमवार पृष्ठ संख्या अंकित नहीं हैं। अतः अंकित करते हुये संशोधित विषय सूची संलग्न करें।
15. प्रस्ताव में संलग्न प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरा जाने वाला भाग–2 व मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाने वाला भाग–3 में संस्तुति नहीं की गयी है। अतः संस्तुति करते हुये ऑनलाईन भाग–2 मे अपलोड करें।

–पेज 3 पर–

Scanned by CamScanner

16. ऑनलाईन भाग—2 के क्रमांक —13 (i) में Present Qwner File के Column में अपेक्षित प्रमाण पत्र अपलोड़ नहीं किया गया हैं।

17. प्रस्ताव में 7515 वृक्षो के पातन की अनुमति का उल्लेख किया गया हैं। अतः स्पष्ट करें कि क्या विषयगत परियोजना में 7515 वृक्षो का पातन किया जाना अपरिहार्य हैं? ऐसी जानकारी प्राप्त हुयी हैं कि वृक्षो का पातन नहीं किया जाना हैं। कृपया स्थिति स्पष्ट करें।

अतः प्रश्नगत प्रस्ताव की तीन मूल प्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आप मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित उपरोक्त कमियों में से बिन्दु संख्या—1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 17, में उल्लिखित कमियेां को दूर करते हुए, पुनः पूर्ण प्रस्ताव उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जा सके।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा—सोनभद्र।

संख्या 569 **अ/समदिनांकित।**

प्रतिलिपि—मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि आप मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित उपरोक्त कमियों में से बिन्दु संख्या— 5 व 7 में उल्लिखित कमियों के सम्बन्ध में अपेक्षित अभिलेख/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, जिससे कि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जा सके।

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा—सोनभद्र।

O/C

Scanned by CamScanner